

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

सं0-03/आ01-39/2025/ श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0भ0यो0, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध श्री राकेश कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक, चिन्हित मध्य विद्यालय, सिंधिया, प्रखंड-सिंधिया, समस्तीपुर द्वारा दायर परिवाद की जांच क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा से करायी गयी।

2. परिवाद में श्री अवधेश प्रसाद सिंह के विरुद्ध मध्याह्न भोजन योजना की अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि वसूली के संबंध में कतिपय आरोप लगाया गया है।

3. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर परिवाद को संचिकास्त किया जाता है।

4. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक-03/आ01-39/2025 i/349380 पटना, दिनांक-14/01/2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर/श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0भ0यो0, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता- ग्राम-मोकामा गौशाला रोड, पो0+थाना-मोकामा, जिला-पटना पिन-803302 एवं आई. टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
दिनांक 14/01/2026 11:03